मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462 004

क्रमांक एफ. 3-84/92/3/1 भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल, 1998

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय :—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 12 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है. संशोधन की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 अप्रैल 1998 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है. तत्संबंध में कृपया अपने अधीनस्थ को अवगत कराने का कष्ट करें।

हस्ता./-
(के. एल. दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक सी. 3-84/92/3/1 भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल, 1998

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर, सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर,
   महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल.
2. राज्यपालन के सचिव, राजभवन भोपाल, सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
3. निज सचिव, निज सहायक, मुख्य मंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री, मध्यप्रदेश शासन,
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल,
5. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल,
6. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इंदौर/ग्वालियर,
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर,
8. प्रमुख सचिव/सचिव/अमर सचिव,/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
9. अवर सचिव, स्थापना, अधीक्षण/अभिलेख शाखा,/मुख्यलेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय भोपाल,
10. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल,
11. शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों/संगठनों, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एल. दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), (क्रमांक 159), भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 अप्रैल 1998—चैत्र 12, शक 1920 में प्रकाशित

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998

क्र. एफ्. सी-3-84-92-3-एक.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

12. **वरिष्ठता.**—किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जावेगी, अर्थात्:—

1. **सीधी भर्ती किए गए तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता.**—(क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पदग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यताक्रम के आधार पर अवधारित की जाएगी जिसमें नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की गई है, पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे.

(ख) जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिए उनकी सिफारिश की जाती है.

(ग) जहां पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं तो उसी समय पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था.

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख, से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जाएगी.

(ङ) सीधे भर्ती किए गए तथा पदोन्नति किए गए व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किए जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जाएगी:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी.

(च) यदि किसी सीधी भर्ती की परिवीक्षा की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिए जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे, निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिए.

(छ) यदि सीधी भरती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लॉक) सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे.

2. **स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता.**—(क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानान्तरणों के लिए उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी.

(ख) जहां कोई व्यक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानान्तरण के लिए उपबंधित भर्ती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसा स्थानान्तरित व्यक्ति यथास्थिति सीधी भर्ती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा, तथा उसे यथास्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जाएगा.

(ग) ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहां संगत भर्ती नियमों में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण" की व्यवस्था हो) किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियन किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यतः उसके संविलियन की तारीख से की जावेगी. तथापि, यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो तो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अध्यधीन ध्यान में रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद में हो, नियुक्त किया गया था.

स्पष्टीकरण.—तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किए गए अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे संविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा.

(3) **विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता.**—(क) ऐसे मामलों में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद में कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो तथा यह भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी, जैसी कि उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होती.

(ख) ऐसे मामलों में जहां कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जा सकेगी.

(ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे.

(घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिए अलग-अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि—

(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिये न चुना गया हो तथा;

(दो) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिए अनुमोदन न किया गया हो.

4. **तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता.**—(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं को नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जाएगी.

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियमों के अनुसार सेवा में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998

क्र. सी-3-84-92-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3-84-92-3-एक, दिनांक 2 अप्रैल, 1998 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd April 1998

No. F. 8-C-3-84-92-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules, for rule 12 the following rule shall be substituted, namely :—

12. **Seniority.**—The seniority of the members of a service or a distinct branch or group of posts of that service shall be determined in accordance with the following principles, *viz*—

(1) **Seniority of Direct Recruits and Promotees.**—(a) The Seniority of persons directly appointed to a post according to rules shall be determined on the basis of the order of merit in which they are recommended for appointment irrespective the date of joining. Persons appointed as a result of an earlier selection shall be senior to those appointed as a result of a subsequent selection.

(b) Where promotions are made on the basis of selection by a Departmental Promotion Committee, the seniority of such promotees shall be in the order in which they are recommended for such promotion by the Committee.

(c) Where promotions are made on the basis of seniority subject to rejection of the unfit, the seniority of persons considered fit for promotion at the same time shall be the same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted. Where however a person is considered as unfit for promotion and is superseded by a junior, such person shall not, if subsequently found suitable and promoted, take seniority in the Higher grade over the junior persons who had superseded him.

(d) The seniority of a person whose case was deferred by the Departmental Promotion Committee for lack of Annual Character Rolls or for any other reasons but subsequently found fit to be promoted from the date on which his junior was promoted. Shall be counted from the date of promotion of his immediate junior in the select list or from the date on which he is found fit to be promoted by the Departmental Promotion Committee.

(e) The relative seniority between direct recruits and promotees shall be determined according to the date of issue of appointment/promotion order :

Provided that if a person is appointed/promoted on the basis of roster earlier than his senior, seniority of such person shall be determined according to the merit/select/fit list prepared by the appropriate authority.

(f) If the period of probation of any direct recruit or the testing period of any promotee is extended, the appointing authority shall determine whether he should be assigned the same seniority as would have been assigned to him if he had completed the normal period of probation/testing period successfully, or whether he should be assigned a lower seniority.

(g) If orders of direct recruitment and promotion are issued on the same date, promotee persons enblock shall be treated as senior to the direct recruitees.

(2) **Seniority of Transferees.**—(a) The relative seniority of persons appointed by transfer form one department of another department of the State Government shall be determined in accordance with the order of their selection for such transfer.

(b) Where a person is appointed by transfer in accordance with the provisions in the Recruitment Rules, providing for such transfer in the envent of non availability of suitable candidates by direct recruitment or promotion, such transferee shall be grouped with direct recruits or promotees, as the case may be, and he shall be ranked below all direct recruits or promotees, as the case may be, selected on the same occasion.

(c) In the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later (i.e. where the relevant recruitment rules provide for "transfer on deputation/transfer") his seniority in the grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of absorption. If he has however been holding already (on the date or absorption) the same or equivalent grade on regular basis, in his parent department, such regular service in the grade shall also be taken into account in fixing his seniority, subject to the condition that he will be given seniority, from the date he has been holding the post on deputation or the date from which he has been appointed on a regular basis to the same or equivalent grade in his present department whichever is later.

Explanation.—The fixation of seniority of a transferee in accordance with the above rule will not however affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption. In other words it will be operative only in filling up of vacancies in higher grade taking place after such absorption.

(3) **Seniority in special types of cases.**—(a) In case where a penalty of reduction to a lower service, grade or post is imposed on a Government servant and such reduction is for a specified period and is not to operate to postpone future increments, the Seniority of the Government servant may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed in the higher service, grade or post or the higher time scale at what it would have been but for his reduction.

(b) Where the reduction is for a specified period and is to operate to postpone future increments, the seniority of the Government servant on repromotion may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed by giving credit for the period of service rendered by him in the higher service, grade or post or higher time scale.

(c) The surplus employees shall not be entitled for the benefit of the past service rendered in the previous office for the purpose of their seniority in the new office and such employees shall be treated as fresh entrants in the matter of their seniority.

(d) When two or more surplus employees of a particular grade in an office are selected on different dates for absorption in a grade in another, office their *inter-se-seniority* in the latter office shall be the same as in their previous office provided that,—

(i) no direct recruit has been selected for appointment to that grade in between these dates, and

(ii) no promotee has been approved for appointment to that grade in between these dates.

4. **Seniority of Adhoc employees.**—(a) A person appointed on adhoc basis shall not get any seniority till the regularisation of his services.

(b) If a person is appointed on adhoc basis by substantially following the procedure laid down by the Recruitment Rules and the appointee continues in the post uninterruptedly till the regularisation of his service in accordance with the rules, the period of officiating service shall be counted for seniority.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. M. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1998.